

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 34/अ-82/2019-20 मौजा-देहगुड़/1932

बैतूल दिनांक 13/02/2020

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	देहगुड़	4.499	देहगुड़ लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	322	1.335	0.480	भागरती जौ. काशीराम अनुसया जी हिराजी सोनी जौ
	521	0.134	0.134	जैराम जाति मेहरा सा. देह भूमि स्वामी
2	325/1	1.134	0.240	रामदास गुलाबराव वल्द चम्पत जैवन्ती चिन्धी पिता चम्पत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी लखू बे. रामदास अशोक अजाब अनिल सुनिल सुरेश व. रामदास आशा पिता रामदास ईमला बेवा रामदास राजेश व. रामदास उषा पिता रामदास भूमि स्वामी
3	325/2	0.283	0.110	कला पिता चम्पत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
4	509/1	1.035	0.170	आत्माराम अर्जून मिटठु व. भूजंगा अंजू सकू पिता
	510/3	0.045	0.045	भूजंगा इटू धर्मराज व. तुकाराम सुमन चन्द्रकला शकुन्तला भूमिस्वामी पिता तुकाराम पता सा. देह
	554	0.729	0.240	
	571	1.064	0.150	
5	509/2	0.844	0.220	बसंतराव लक्ष्मण व. इटोलराव पता सा. देह भूमि स्वामी
6	509/4	1.344	0.160	सोनी बेवा जैराम काशीराम हिराजी व. पंचम जाति
	510/1	0.073	0.050	मेहरा सा. देह
	510/2	0.282	0.200	
7	518	1.218	0.390	भीमराव श्यामराव व. घुड़िया सारजा गिरजा पिता घुड़िया सा. देह भूमि स्वामी
8	520/2	0.820	0.020	श्रीराम व. लक्ष्मण जाति कुन्बी सा. सारणी भूमि स्वामी
9	520/3	0.528	0.050	लखनलाल व. राधेलाल चिन्धी पिता राधेलाल फत्तू व. सूरजू मैना पिता सूरजू जाति बढई सा. देह भूमि स्वामी

क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
10	522	0.259	0.160	धनराज रामचन्द्र धनाराम मनीराम व. तेजी मिट्ठन बेवा तेजी सया फुलवन्ती भूमि स्वामी कुसुम मुन्नी सुबेदिया पिता तेजी सा. देह भूमि स्वामी
11	544/2	0.304	0.050	मोरश्वर व. नत्थू रेखा माया पिता नत्थू सया पिता तेजू जाति कुन्बी सा. मुलताई भूमि स्वामी
	546/1	0.350	0.300	
12	546/2	0.350	0.300	चन्द्राभागा यशोदा बेवा रघुनाथ कृष्णा ना.बा. पिता रघुनाथ वली मां चन्द्रभागा गीता वन्दना पिता रघुनाथ मीरा दुर्गा पदमा ना.बा.पि. रघुनाथ वली मां चन्द्रभागा ताई पिता तेजू जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी
13	547/1	0.344	0.140	अजाबराव किसना जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी
14	550	1.311	0.080	साहेबराव रमेश व. गोदिया बेबी चन्द्रकला निर्मला गुन्ता पिता गोंदिया पार्वती बेवा गोंदिया मनाबाई पिता दाजीबा भूमिस्वामी भोला मानिकराव उत्तम संतोष व.
	551	0.340	0.320	
15	552/1	0.804	0.150	रघुनाथ चन्दू रामा व. काशीराम बुग्गा बाया पिता काशीराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी
16	552/2	0.284	0.050	भोजराज व. गेन्दू जाति कुन्बी भूमि स्वामी
17	552/3	0.458	0.120	कमला बेवा राजू कविता पिता राजू नामदेव व. राजू जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी
18	553	0.202	0.170	गुलाबराव व. गणपतराव शान्ता पिता गणपतराव जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी
महायोग		15.874	4.499	

1. चूंकि देहगुड़ लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,

*(Handwritten Signature)*

(तेजस्वी एस. नायक)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

*(Handwritten Mark)*

प्रतिलिपि :-

- 1 - उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रनालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म०प्र० भोपाल की ओर म०प्र० राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ ।
- 2 - संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित । कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतिया भी भेजने का कष्ट करे ।
- 3 - कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतिया एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे ।
- 4 - जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट WWW.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 5 - प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाए तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे ।
- 6 - अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित । प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाए तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे ।
- 7 - तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेषित । प्रति कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल / ग्राम पंचायत पर चस्पा करवाए एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे ।
- 8 - जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावे ।

  
अपर कलेक्टर

एवं प्र०अ० भू-अर्जन, बैतूल

